



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1253]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 1253]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सं. 56/2015-2020

विषय :-आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्विजम कोड 08081000 के तहत सेब की आयात नीति शर्तों में संशोधन।

का.आ. 1387(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्विजम कोड 0808 10 00 के तहत सेबों की आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करती है:

| एक्विजम कोड | मद विवरण | नीति  | नीति शर्तें                                                                                                                                                                                               | संशोधित नीति शर्त |
|-------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0808 10 00  | सेब      | मुक्त | (i) दोनो समुद्री पत्तनों तथा कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और कोचीन में हवाई अड्डे तथा दिल्ली में भू-पत्तन तथा हवाई अड्डे के माध्यम से आयात<br><br>(ii) सेब का आयात भारत की भू-सीमाओं के माध्यम से भी अनुमत है। | शून्य             |

**2. इस अधिसूचना का प्रभाव:**

एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेब" के आयात के लिए पत्तन प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

[फा. सं. 01/89/180/79/एएम-99/पीसी-2/ए/ई-1863]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2018

**No.56/2015-2020**

**Subject: Amendment in import policy conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).**

**S.O. 1387(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Conditions of apples under Exim code 0808 10 00 of Chapter 08 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

| Exim Code  | Item Description | Policy | Policy Condition                                                                                                                                                                                  | Revised Policy Condition |
|------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0808 10 00 | Apples           | Free   | (i) Import through both sea ports and airports in Kolkata, Chennai, Mumbai & Cochin; and land port & airport in Delhi.<br><br>(ii) Import of apples is also allowed through India's land borders. | Nil                      |

2. **Effect of this Notification:** Port restriction for import of apples covered under EXIM Code 0808 10 00 is hereby removed.

[F. No. 01/89/180/79/AM-99/PC-2(A) / E - 1863]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade